कार्यालय नगर पालिका परिषद,जौनपुर।

नोटिस

संख्या– 834 / न0पा0 / पैरोकार / निर्माण–2019–20 दिनांकः–19 अगस्त, 2019

रिद्धिमान कन्सट्रक्शन
कृष्णपुरी कालोनी,
सिगरा, वाराणसी।

कृपया आप द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल रिट संख्याः–3963 दिनांकः–05.03.2018 के क्रम में आरोप लगाया गया है कि बिना कोई सूचना / अवसर दिये बिना ही ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है जो सही नही है। जबकि आप द्वारा कार्यालय में दिनांकः–08.10.2014 को एक अनुबन्ध किया गया। जिसमें **मोहल्ला–सुक्खीपुर में एच0पी0 गैस के सामने से पजावा होते हुए, डल्लेनाथ मन्दिर तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य** का ठेका **रूपयाः–18,65,541**=00 का प्राप्त किया गया, जो दिनांकः–12.03.2014 तक समाप्त किया जाना था। जिस पर दिनांकः–22.07.2015 तक आपको कार्य समाप्त हेतु अवर अभियन्ता (निर्माण) द्वारा नोटिस दिया गया। मौके पर न तो आप द्वारा कार्य करवाया गया, न तो इसकी सूचना दिया गया। उक्त स्थल पर खडंजा ईट बिना सूचना दिये उखड़वा लिया गया। जिस कारण से स्थल अस्त–व्यस्त अवस्था में हो गया। जनता को आने–जाने में कठिनाईयों का समाना करना पड़ा एवं मौके पर जलभराव भी हो गया। आपके मोबाइल नं0–8400240099 / रजिस्टर डाक दिनांकः–22.11.2016 के माध्यम से बार–बार कार्य करवाने हेतु सूचित किया गया। फिर भी आप द्वारा उक्त कार्य नही करवाया गया। तत्पश्चात् बोर्ड बैठक दिनांकः–29.04.2017 को सम्पन्न हुई, जिसमें सर्वसम्मति से आपको बोर्ड द्वारा ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। फिर भी उपरोक्त न्यायालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही का आदेश पारित किया गया है, के सम्मान में आपको कार्यालय द्वारा पत्रांकः–**250 / पॉच राजस्व दिनांकः–01.06.2019** को पत्र प्रेषित किया गया। जिसकी सुनवाई दिनांकः–07.06.2019 को समस्त साक्ष्य के साथ आपको अपना पक्ष प्रस्तुत करना था। लेकिन आप द्वारा कार्यालय में सम्बन्धित दिनांक को उपस्थित नही हुआ गया। फिर भी आपको अन्तिम अवसर दिनांकः–30/8/19 को उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, जौनपुर

संख्या एवं दिनांकः– तदैव

प्रतिलिपिः–एक प्रति एन0आई0सी0 कार्यालय पर सूचना अपलोड हेतु प्रेषित।

18/8/19

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, जौनपुर

E:\License\Letter.doc